न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रकरण संख्या– 53/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सुखाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट नि. चिरड़ाणी त. पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री निर्मल कटारिया वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 24.02.2020

वकील वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चिरड़ाणी के खसरा नम्बर 790/6, 290, 291, 36, 473, 744/1, 827/1, 1065, 444, 72, 740 में वादी का नाम सुखदेव उर्फ पपाराम पुत्र मंगलाराम लिपिकिय त्रुटिवंश दर्ज हो गया है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त रेकर्ड यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैक पासबुक में सुखाराम पिता मंगलाराम दर्ज है जो वादी का सही नाम है। अतः उक्त खातो में दर्ज नाम सुखदेव उर्फ पपाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र मंगलाराम शुद्ध करने का निवेदन किया है ।

हमने राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम चिरड़ाणी में सुखदेव उर्फ पपाराम पुत्र मंगलाराम व सुखाराम पुत्र मंगलाराम एक ही व्यक्ति है । इसलिए शुद्ध कर सुखदेव उर्फ पपाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र मंगलाराम किये जाने की अनुशंषा की जाती है ।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, का अवलोकन किया अतः वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चिरड़ाणी के खसरा नम्बर 790/6, 290, 291, 36, 473, 744/1, 827/1, 1065, 444, 72, 740 में वादी का नाम सुखदेव उर्फ पपाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र मंगलाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner